महत्वपूर्ण एवं खास

मौसम एक बार फिर लेगी करवट

रायपुर (आरएनएस)। छग प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग की माने तो 27 जून से एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर शुरू होगा. इस बारिश के ना केवल आमजन को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी बल्कि सभी जिलों में सामान्य से कम हुई बारिश की भरपाई भी हो जाएगी.शुक्रवार को छत्तीसगढ़ का तापमान भले ही 40 डिग्री के पार नहीं रहा, लेकिन वातावरण में आद्र्रता अधिक होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कल अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री रहा. 15 जून के बाद पहली बार तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हुआ है. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम 23.2 डिग्री दर्ज हुआ. हवा में नमी का स्तर 40 से 67 प्रतिशत रहा।

आवेश में पुत्र ने शराबी पिता की कर दी हत्या

कोंडागांव (आरएनएस)। जिले के थाना धनोरा अंर्तगत ग्राम हाटचपई की प्रार्थिया मसाय पति स्व. रैनूराम जाति गोंड़ द्वारा थाना धनोरा में रिपोर्ट दर्ज करायी कि 23 जून 2022 की रात्रि करीबन 09 बजे इसका पति रैनूराम नशे की हालत में आकर खाना ठीक से नहीं बनाई है, बोलकर प्रार्थिया के साथ मारपीट करने लगा इस दौरान उसका पुत्र अस्सीराम बीच बचाव करने लगा तो उससे भी मारपीट करने लगा, नाराज पुत्र अस्सीराम ने आये दिन लड़ाई-झगड़ा करता है बोलकर उसी के पकड़े लोहे के टंगिया को छिनकर आज तुझे जान से मार दूंगा कहकर अपने ही पिता रैनूराम के सिर में दो बार वारकर हत्या कर दिया है। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 302 भादवि का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर थाना धनोरा से टीम गठित कर आरोपी पता तलाश कर आरोपी अस्सीराम पिता स्व. रैनूराम जाति गोड़ उम्र 19 वर्ष साकिन हाटचपई थाना धनोरा को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष 25 जून को पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त टंगिया बरामद किया गया।

अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह 27 को

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में एक दिवसीय सत्याग्रह 27 जून की किया जाएगा। केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर देश के युवाओं के साथ छलावा करते युवाओं से रोजगार छिनने का कार्य कर रही है। सेना में भी अपनी आरएसएस विचारधारा को थोपते हुए सेना में 04 वर्षो के लिए अग्निवीर के नाम पर भर्ती करने जा रही है। जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध दर्ज करते हुए पूरे देश में विधानसभा स्तरीय 27 जून को प्रात: 10 से 01 बजे तक सत्याग्रह करेगा। जिसमें कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस, कांग्रेस के सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिपं सदस्य, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवादल सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष अपनी उपस्थिति देंगें। उक्त जानकारी जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम ने दी है।

विस्फोटक के साथ 2 नाबालिग बच्चे के पकड़े जाने के बाद एसपी ने इसकी पुन: पुष्टि की

सुकमा (आरएनएस)। नक्सलियों द्वारा मासूम आदिवासी बच्चों को नक्सली संगठन मे शामिल कर जबरन मौत के मुंह मे धकेलने का मामला वर्ष 2016 में नक्सली वर्दी पहने मासूम बच्चों की तस्वीर वाईरल हुई थी। बीते दिनों बीजापुर जिले मे विस्फोटक के साथ 05 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जिसमें 02 नाबालिग शामिल होने से बच्चों का नाजायज उपयोग करने के सबूत मिलने के बाद बीजापुर एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने कहा था के मासूम बच्चों को गुमराह कर नक्सली उनका बचपन छीनकर उनसे गोला बारूद की सप्लाई करवा रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों को नक्सली अपने स्कूलों में ले जाते हैं, जहां मासूमों को हिंसा की ट्रेनिंग दी जाती है। नक्सली मासूम बच्चों का ब्रेनवाश कर उन्हें हिंसा के मार्ग में ढकेल रहे हैं। नक्सलियों द्वारा महिलाओं पर अत्याचार मासूम नाबालिग बच्चों को मौत के मुंह मे धकेलकर जो अमानवी कृत्य किया जा रहा है, इस पर मानवाधिकार एवं सामाजिक संगठन खामोश है, यह कई सवाल खड़े करता है।

करोड़ों के फर्जीवाड़ा का 24 घंटे के भीतर खुलासा, 84 लाख नगद के साथ सात आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी पुलिस ने मुजगहन थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम डूण्डा स्थित एक्सिस बैंक में करोड़ों रूपये का फर्जीवाड़ा होने के मामले में 24 घंटे के भीतर इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। मामले पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 84 लाख 95 हजार रूपये की नगदी जब्त की है। मामलें का खुलासा एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने किया।

ज्ञात हो कि एक्सिस बैंक रायपुर के कलस्टर हेड बी आनंद ने थाना मुजगहन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छग राज्य कृषि मण्डी बोर्ड के बैंक खाता क्रमांक 900010025774139 जिसमें सतीश वर्मा और चन्द्रभान सिंह ने अपने सहयोगी अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से चेक बुक जारी कराकर, चेक बुक के माध्यम से फर्जी तरीके से रकम ट्रांसफर कराया। उसी चेक बुक के जरिए अन्य बैंक खातों में फर्जी तरीके से रकम भेजी गईञ्। आरोपियों द्वारा बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के ईरादे से करीबन 16,40,12,655 रूपये की धोखाधड़ी की थी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया था। करोड़ो रूपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए. जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन टीम के सदस्यो ने प्रार्थी से प्रकरण के संबंध में विस्तृत

पूछताछ करने के साथ ही बैंक के अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ कर छग राज्य कृषि मण्डी बोर्ड के बैंक खाता क्रमांक 900010025774139 के संबंध में विस्तृत जांच की। मामले की बारिकी से जांच करने के बाद प्रारंभिक जानकारी के आधार पर तत्काल एक टीम को हैदराबाद रवाना किया गया। थाना स्तर पर रायपुर में भी 2 अलग-अलग टीमें बनाकर हैदराबाद और रायपुर में एक साथ रेड की कार्रवाई करते हुए हैदराबाद में 2 आरोपी और रायपुर में 5 आरोपियों को एक साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में रायपुर निवासी आरोपी सौरभ मिश्रा ने बताया कि उसने अपने परिचित आबिद खान के माध्यम से उसके परिचित कोटक महेन्द्रा के गुलाम मुस्तफ ा के माध्यम से मण्डी बोर्ड के कुल 60 करोड़ रूपये को एक्सिस बैंक डूण्डा शाखा में जमा करवाया। जहां से 9 आरटीजीएस और 2 ट्रांसफर के जरिए 16 करोड़ 40 लाख 12 हजार 655 रूपये का फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से ट्रांसफर किया गया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से अब तक 84 लाख 95 हजार रुपए जब्त किया जा चुका है. साथ ही प्रकरण में अंतर्राज्यीय गिरोह के शामिल होने की जानकारी के पश्चात् दिल्ली, मुम्बई, गुजरात, बैंगलोर और अन्य कई राज्यों में आरोपियों की गिरफ्तारी तथा गबन किए गए राशि की बरामदगी के लिए टीम रवाना की है. पुलिस ने मामले में संदीप रंजन दास निवासी ब्लॉक नंबर 08 अवंति उद्यान मार्ग मैत्रीकुंज रिसाली जिला दुर्ग, समीर कुमार जांगडे निवासी ग्राम दोंदेकला रायपुर, सौरभ मिश्रा निवासी मिश्रा बाड़ा तात्यापारा रायपुर, मोहम्मद आबिद खान निवासी पुजारी स्कूल के पीछे रायपुर, गुलाम मुस्तफा निवासी हाण्डी पारा रायपुर, सत्यनारायण वर्मा उफर् सतीश वर्मा निवासी फ्लैट नंबर जी/2 एस आर एवेन्यू निजाम पेट रोड हैदराबाद, सांई प्रवीण रेड्डी निवासी उपर वल्ली फ्लैट नंबर 503 परमारेड्डी डायमण्ड तेलंगाना को गिरफ्तार किया है।

खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त : सात कृषि केन्द्रों पर पड़ा छापा एक दुकान सील, छह को नोटिस जारी

- सुबह ही कलेक्टर ने एस.डी.एम और कृषि अधिकारियों को दिए थे निर्देश

रायपुर (आरएनएस)। अवैध रेत पर कार्रवाई के बाद अब कलेक्टर सौरभ कुमार ने रासायनिक खादों की कालाबाजारी करने वाले पर सख्ती दिखाई है। समाचार पत्रों में खाद की कालाबाजारी और अधिक दामों पर बेंचे जाने की खबरों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने सभी एस.डी.एम. और कृषि अधिकारियों को आज सुबह ही कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे। आज कृषि अधिकारियों ने इसी तारतम्य में जिले के सात कृषि केन्द्रों पर छापा मार कार्रवाई की और एक दुकान को सील कर दिया। बाकी छह कृषि और बीज भण्डार केन्द्रों को अनियमितता पर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब भी तीन दिन के भीतर मांगा गया है।

जिले के उप संचालक कृषि आर.के. कश्यप ने बताया कि आज सुबह ही समाचार पत्रों में खाद की कालाबाजारी और अधिक दामों पर बेंचे जाने की खबर पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए थे। खेती किसानी का काम मानसून आने से अब शुरू हो चुका है, ऐसे में खाद की कमी और ऊंचे दामों पर खाद बेंचने से किसानों को भारी असुविधा हो सकती है। किसानों की सुविधा के लिए कलेक्टर ने जिले के सभी कृषि एवं बीज भण्डार केन्द्रों की जांच करने को कहा है। कश्यप ने बताया कि आज सात कृषि केन्द्रों की जांच के लिए फ्लाईंग स्कॉट टीम बनाकर भेजी गयी थी। आरंग विकासखण्ड के समोदा में किसान बीज भण्डार में जांच के दौरान लाइसेंस धारी प्रोपराइटर की अनुपस्थिति में दूसरे लोग अवैध रूप से खाद एवं कीटनाशक दवाईयां बेचते मिले। दुकान को जारी लाइसेंस में उल्लेखित मापदण्डों का पालन नहीं करने पर किसान बीज भण्डार को तत्काल सील कर दिया गया है और लाइसेंस धारी प्रोपराइटर को नोटिस जारी किया गया है।

उप संचालक ने बताया कि इसके साथ ही आरंग विकासखण्ड के कागदेही के साहू कृषि केन्द्र और बृजलाल कृषि केन्द्र की भी औचक जांच की गई है। फ्लाइंग स्कॉट टीम ने अभनपुर विकासखण्ड के गुलाटी कृषि केन्द्र और विशाल कृषि केन्द्र पर भी दबिश दी है। इसी तरह तिल्दा विकासखण्ड में राठी कृषि केन्द्र नेवरा और धरसीवां विकासखण्ड में ओम कृषि केन्द्र दोंदेकला की भी जांच की गई है। सभी कृषि केन्द्रों में जारी लाइसेंस में उल्लेखित मापदण्डों का पालन नहीं करना और बीज, खाद एवं कीटनाशक के भण्डारन और बिक्री में लापरवाही मिली है। लाइसेंस नवीनीकरण, स्टॉक बुक, मुल्य सूची का प्रदर्शन, उपलब्ध खाद का भौतिक स्टॉक का पी.ओ.एस. मशीन से मिलान, बेची गई सामग्री का बिल बुक से मिलान, सोर्स प्रमाण पत्र, कीटनाशकों की वैधता के साथ-साथ बीज, खाद और दवाईयों के भण्डारन के तरीके का भी औचक निरीक्षण किया गया है।

नक्सलियों ने अग्निपथ योजना के विरूद्ध आंदोलन का किया समर्थन

जगदलपुर (आरएनएस)। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो समता द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज बुलंद करने एवं पुलिस अर्ध-सैनिक व सैन्य बलों में भर्ती का बहिष्कार करने, सरकारी नौकरियों में ठेका पद्धति के खिलाफ आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया है। उन्होने भारतीय सेना में भर्ती के अग्निपथ योजना के विरूद्ध देश भर में जारी युवाओं के आंदोलन का समर्थन किया है।

नक्सली विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें एक ओर जन-विरोधी नीतियों पर अमल करते हुए बेरोजगारी को बढ़ावा देती हैं, और दूसरी ओर गरीबी और बेरोजगारी का नाजायज फायदा उठाते हुए युवाओं को पुलिस अर्ध-सैनिक व सैन्य बलों में भर्ती करती है। केंद्र एवं राज्य के तमाम सरकारी विभागों में रिक्त पदों की भर्ती नही करते हुए अस्थायी तौर पर ठेका प्रथा, केजुअल एवं दैनिक वेतन भोगी पद्धतियों में कुछेक लोगों को शिक्षाकर्मी, शिक्षादूत, जनभागीदारी शिक्षक एवं कर्मचारियों के तौर पर नियुक्तियां दे रही हैं। स्थायी नौकरियों की तुलना में एक-चौथाई या एक-तिहाई वेतन ही ऐसे कर्मचारियों को दिया जाता है, इसे अब अग्निपथ के नाम पर सेना में भी शुरू किया जा रहा है।

ग्राम फुलमपाठ से 5 नग आईईडी के साथ बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद

सुकमा (आरएनएस)। जिले के थाना चितलनार क्षेत्रांतर्गत ग्राम फुलमपाठ में नक्सलियों द्वारा सुरक्षाबलों को क्षति पहुंचाने के नियत से आईईडी लगाया गया था, जिसकी सटीक आसूचना के आधार पर आज सुबह 201 कोबरा बटालियन के द्वारा सौमित्र रॉय कमांडेन्ट के नेतृत्व में अभिजीत सिंह राठौर (उप कमा.), पवन कुमार बडगुजर (सहा. कमा.) एवं राकेश कुमार (सहा. कमा.) के मार्गदर्शन में ग्राम फुलमपाठ क्षेत्र से नक्सलियों द्वारा लगाये गये 05 नग आईईडी को 201 कोबरा बटालियन के जवानों द्वारा बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। 201 कोबरा बटालियन के जवानों द्वारा 05 नग आईईडी बरामद करने के बाद इलाके की सर्चिंग के दौरान नक्सली सामग्री मोटरोला वॉकी-टॉकी सेट 02 नग, पलैश कैमेरा 01 नग, 12 वोल्ट बैटरी 01 नग , पीसीबी सरकिट बोर्ड 01 नग, इलेक्ट्रीक डेटोनेटर 03 नग इलेक्ट्रीक वायर 30 मीटर पटाखा (सुतली बम) 01 बैग, छाता 01 नग, कैची 01 नग, पानी बोतल 01 नग, पेन्सील बैटरी 35 नग, नक्सली बैनर 01 नग, नक्सली साहित्य 03 नग, एकल बेल 01 नग, प्राथमिक उपचार पट्टी 01 नग, खाना बनाने का बर्तन, कंबल 06 नग, दरी 05 नग, एवं दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की गई। उक्त नक्सली सामग्री के बरामदगी से ऐसा प्रतीत होता है कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जिसे 201 कोबरा बटालियन के जवानों द्वारा नक्सलियों के नापाक मनसूबे पर पानी फेरते हुए बरामद 05 नग आईईडी को सुरक्षित तरीके से बीडीएस की टीम के द्वारा मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और इंडसइंड बैंक के बीच हुआ करार

- रायपुर के सभी घरों में लगेगा डिजिटल डोर नंबर
- महापौर ,आरएससीएल एमडी,इंडसइंड बैंक के अधिकारी रहे उपस्थित
- डिजिटल प्लेट से मिलेगी घर को सरल पहचान और कई सुविधाएँ

रायपुर (आरएनएस)। स्मार्ट सिटी मिशन के स्थापना दिवस पर आज रायपुर स्मार्ट सिटी और इंडसइंड बैंक के बीच रायपुर शहर के सभी 3.15 लाख घरों पर डिजिटल कोर नंबर लगाने हेतु करार हुआ। महापौर एजाज़ ढेबर की उपस्थिति में रायपुर स्मार्ट सिटी के एम डी मयंक चतुर्वेदी और इंडसइंड बैंक के नेशनल हेड ज्योति रंजन प्रधान ने इस प्रोजेक्ट के करार पर हस्ताक्षर किए।

डिजिटल डोर नंबर के एम ओ यू के उपरांत महापौर एजाज़ ढेबर ने कहा कि रायपुर में डिजिटल डोर नंबर पूरे शहर को हाई टेक करने की दिशा में बड़ा कदम है ।डिजीटल डोर नंबर के माध्यम से मकान मालिक को ई गवर्मेन्स मॉड्यूल से जुड़ी 26 सेवाएँ घर पर लगे यूनिक डिजिटल प्लेट को स्कैन करने से बड़ी आसानी से प्राप्त होगी ।रायपुर स्मार्ट सिटी और इंडसइंड बैंक जल्द ही इस परियोजना पर कार्य प्रारंभ करेंगे।

रायपुर स्मार्ट सिटी के एमडी मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि डिजीटल डोर नंबर के माध्यम से शहर के सभी 3.15 लाख मकानों का एक यूनिक नंबर तैयार कर क्यू आर कोड के साथ प्लेट के रूप में घर-घर लगाया जाएगा। इस यूनिक नंबर से संपत्तिकर, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, नल कनेक्शन, नामांतरण, भवन अनुज्ञा, नियश्रिमतीकरण सहित 26 जरूरी सेवाओं के साथ-साथ, पुलिस,एम्बुलेंस, फ़ायर ब्रिगेड की आपातकालीन सेवाएँ घर बैठे सुगमता पूर्वक मिलेगी।घर की स्पष्ट पहचान होने से डोर टू डोर डिलीवरी सुविधा भी इससे आसान हो जाएगी। इसके अलावा इस डिजीटल नंबर के माध्यम से सभी संपत्ति मालिकों को अपना संपत्ति आईडी भी प्राप्त होगा।

दो हजार लीटर डीजल के साथ डीजल चोर गिरोह 8 सदस्य गिरफ्तार

बिलासपुर (आरएनएस)। सडक़ किनारे खड़े भारी वाहनों से डीजल चुराने वाले शातिर चोर गिरोह को पकडऩे में पुलिस को सफलता मिली है। इस गिरोह के 6 चोर व दो खरीददारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शातिर चोरों का गिरोह रात में निकलता व हाइवे किनारे खडे भारी वाहनों के टंकी से डीजल पार कर देते थे। यह काम इतनी सफाई करते की वाहन चालकों को भी भनक नहीं लगती थी। पुलिस ने गिरोह के पास से 2000 लीटर डीजल जब्त किया है।

मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला सीपथ थाना क्षेत्र का है। मिली जानकी के अनुसार रात्री गस्त के दौरान शुक्रवार तडक़े सफेद रंग की बोलेरो वाहन क्रमांक ष्टत्र 05 स्न 0734 हिंडाडिह मोड़ के पास पुलिस वाहन को टक्कर मारकर भाग गया। इसके बाद पुलिस ने इसका पीछा किया लेकिन पकड़ में नहीं आए। इसके बाद सुबह करीब 6:30 बजे मुखबिर के जरिए सूचना मिली की पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर भागी है वह दर्रा भाटा में खड़ी है।

सूचना पर जब टीम दर्राभाटा पहुंची तो वहां दूसरी बुलेरो वाहन मिली। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में छह 35 लीटर वाले ड्रम में डीजल भरा हुआ मिला7 इसके चालक दिनेश सोनवानी से पूछने पर उनसे पुलिस वाहन को टक्कर मारने वाली गाड़ी का पता बताया। पुलिस ने दूसरी बुलेरो को भी जब्त किया। इस गाड़ी में भी डीजल भरा हुआ था। दोनों वाहनों में 450 लीटर चोरी डीजल मिला। पूछताछ में पता चला कि यह सभी सडक़ किनारे खड़े वाहनों की टंकी का लॉक तोडक़र प्रेशर पाइप के जरिए चंद मिनटों में की पूरी टंकी खाली देते हैं। आरोपियों ने बताया कि चोरी का पूरा डीजल वे राजू पाटनवार निवासी ग्राम कुकदा के घर पर रखते हैं और आसपास के ग्रामीणों को मार्केट प्राइस से थोड़ा ज्यादा लेकर बेच देते हैं। यहां के लोग पंप तक जाने से बचने के लिए उनके पास से डीजल खरीदरते थे। आरोपियों ने बताया कि अभी खेती का समय है तो गांव में डीजल की खपत भी ज्यादा है इसलिए बड़ी मात्रा में डीजल चुरा रहे थे।

आरिपियों की निशानदेही पर पुलिस की एक टीम ग्राम कुकदा पहुंची। यहां राजू पाटनवार के घर पर तीन 200 लीटर वाले ड्रम, दस 50 लीटर वाले ड्रम और बारह 35 लीटर वाले ड्रम डीजल से भरे हुए मिले। डीजल से भरे ड्रमों को आरोपी राजू पाटनवार की ट्रेक्टर में लोडक़र थाने लाया गया। जब्त डीजल की कीमत 2 लाख रुपए के करीब है। साथ ही पुलिस ने बुलेरो को भी जब्त कर लिया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सफुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे निश्चित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक शैली के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अत: शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

जमीन विवाद को लेकर हुए हत्या के मामले में 12 आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर (आरएनएस)। शुक्रवार को ग्राम पंचायत पोड़ी, थाना प्रतापपुर निवासी कमल प्रसाद राजवाड़े ने थाना चंदौरा में सूचना दिया कि इसके पिता हिरदल राम राजवाड़े कई वर्ष पूर्व ग्राम सेमई में बईगासाय लोहार से 4 एकड़ 90 डिसमिल जमीन खरीदे थे जिस जमीन में बईगासाय के भतीजा बसंतलाल, शिवबरन, रामचंदर, शिवधारी लोगों के द्वारा जमीन में कब्जा किए थे। भूमि के सीमांकन के लिए शुक्रवार को मोटर सायकल से वहां गए थे, शाम को मोबाईल से सूचना मिला कि दशरथ, जीवन, विनोद, बसंतलाल, शिवबरन, रामचंदर, शिवधारी तथा उनके परिवार के अन्य लोग मिलकर टांगी से प्रहार कर पिता की हत्या कर दिए है। सूचना पर मर्ग कायम कर थाना प्रभारी चंदौरा पियुस चन्द्राक, एसडीओपी प्रतापपुर अमोलक सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने इस घटना से जुड़े सभी बिन्दुओं पर बारीकी से जांच करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटना स्थल का बारिकी से मुआयना कर शव पंचनामा किया और मामले में आरोपियों के विरूद्व धारा 302, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्व करते हुए तत्परता पूर्वक कार्यवाही कर दबिश देकर आरोपीगण (1) शिवबरन पिता घोलडू विश्वकर्मा उम्र 65 वर्ष (2) विनोद विश्वकर्मा पिता शिवधारी उम्र 25 वर्ष, (3) शिवधारी विश्वकर्मा पिता घोलडू उम्र 55 वर्ष, (4) रामचंद्र विश्वकर्मा पिता घोलडू उम्र 60 वर्ष, (5) जगजीवन विश्वकर्मा पिता शिवबरन उम्र 46 वर्ष, (6) बसंत विश्वकर्मा पिता घोलडू उम्र 55 वर्ष, (7) दशरथ विश्वकर्मा पिता बसंतलाल उम्र 24 वर्ष, (8) राजवंती पति विनोद विश्वकर्मा उम्र 30 वर्ष, (9) गणेशपति विश्वकर्मा पति शिवधारी उम्र 53 वर्ष, (10) बसंती पति रामचंदर विश्वकर्मा उम्र 65 वर्ष, (11) अनिता पति जगजीवन विश्वकर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी चंदौरा, थाना चंदौरा एवं (12) आंतर पति चमरू विश्वकर्मा उम्र 60 वर्ष निवासी केवरा, थाना प्रतापपुर को घेराबंदी कर पकड़ा।

पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि बईगासाय एवं घोलडू के नाम पर शामिल खाते की भूमि थी वर्ष 2012 में बईगासाय शामिल खाते की जमीन को हिरदल के पास 4 एकड़ 90 डिसमील बेच दिया था जो घोलडू का हिस्सा था जिस पर खेती किसानी करते थे, हिरदल के द्वारा जमीन का सीमांकन कराकर घर खेत पर कब्जा करने वाला है इसी बात को लेकर परिवार के सभी लोगों में गुस्सा था, शुक्रवार के शाम को हिरदल गांव में मोटर सायकल से आया था और खेत तरफ गया था तब सभी मिलकर एक राय होकर हिरदल के खेत तरफ से वापस आने का इंतजार करने लगे इसी बीच हिरदल मोटर सायकल से खेत तरफ से वापस आया तो सभी मिलकर उसे पकड़े और मारपीट करते हुए मोटर सायकल से खींचकर उतार कर रोड़ पर लाकर सभी ने मिलकर डण्डा व टांगी से मारकर हत्या कर दिए। आरोपियों की निशानेदही पर घटना में प्रयुक्त आलाजरब जप्त किया गया और मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तारी की गई।